

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

एफ सी-3-19/2010/1/3

भोपाल दिनांक 6 अक्टूबर 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।


विषय :- सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति।

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन क. सी 3-33/49/3/89 दिनांक 23 दिसम्बर 1989
एवं ज्ञापन क. सी-3-23/90/3/49 दिनांक 20 जुलाई 1990

इस विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को संविदा नियुक्ति पर सेवा शर्तें एवं एकजायी वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में दिनांक 01.01.2006 से छठवां वेतनमान लागू हो जाने से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति पर एकजायी वेतन का निर्धारण छठवें वेतनमान के संदर्भ में किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः इस विभाग के ज्ञापन क. सी-3-23/90/3/49 दिनांक, 20 जुलाई 1990 को निरस्त किया जाता है, तथा ज्ञापन क. सी 3-33/49/3/89 दिनांक 23 दिसम्बर 1989 की कंडिका -2 (ख) (ग) एवं (घ) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार कंडिकाएं स्थापित की जाती हैं :-

- (ख) सेवानिवृत्ति की तिथि को सकल वेतन में से सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त होने वाली सकल पेंशन घटाकर जो राशि आएगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी।
- (ग) सकल वेतन का आशय वेतन एवं मंहगाई भत्ता होगा। नवीन वेतनमानों के अंतर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता+ग्रेड पे माने जाएंगे। इसी तरह सकल पेंशन के मामले में मूल पेंशन एवं उस पर देय मंहगाई राहत शामिल होगी।
- (घ) कंडिका (ख) में दर्शाये गए संविदा वेतन पर किसी भी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।

2/ संविदा पर नियुक्ति की अवधि में अन्य शर्तें इस विभाग के ज्ञापन क. 3-33/49/3/89 दिनांक 23 दिसम्बर 1989 (प्रति संलग्न) के अनुसार यथावत् रहेंगी।


(अकीला हशमत)
उप सचिव

म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

(2)

पृ.कमांक सी-3 -19/2010/3/एक

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर, 2010

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश, भोपाल
8. मंत्री / राज्य मंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश, भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर ।
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर / भोपाल
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव / अवर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश, मंत्रालय भोपाल ।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल ।
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।
21. श्री प्रकाश राव, तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी.कम्प्यूटर कक्ष बल्लभ भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



(आर.बी.वैष्णव)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

or